



## प्राचार्य का कार्यालय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना ।

नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के पद पर संविदा चयन हेतु पैनल तैयार करने हेतु  
**Walk in Interview** की सूचना ।

सरकार के संयुक्त सचिव के पत्रांक 407(17) दिनांक 25-05-2016 के आलोक में नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवम् अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों में जूनियर रेजिडेंट के स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा चयन हेतु पैनल निर्माण किया जाना है।

इस हेतु आवेदन पत्र प्राचार्य, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना के कार्यालय में निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित कि जाती है :-

1. शैक्षणित योग्यता :- भारतीय चिकित्सा परिषद में मान्यता प्राप्त एम0बी0बी0एस डिग्री । पी0जी0 डिप्लोमाधारी (निश्चेतना, रेडियोलॉजी, मनोरोग, टी0बी0 एवम् चेस्ट, शिशु, चर्म, हड्डी, कान-नाक-गला, नेत्र, स्त्री रोग को विषय विशेष में प्राथमिकता दी जायेगी।)
2. राज्य स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे ।
3. आरक्षण :- बिहार सरकार द्वारा देय आरक्षण प्रभावी होगा ।
4. उपरोक्त चयन हेतु साक्षात्कार (Walk in Interview) निम्न तिथि को आयोजित किया जायेगा ।

तिथि एवम् समय	साक्षात्कार स्थान
28 जुलाई 2016 (11:00 बजे पूर्वाह्न)	प्राचार्य कक्ष, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना ।

5. आवेदक की अधिकतम उम्र राज्य सरकार ( सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा आरक्षण कोटिवार निर्धारित निम्नानुसार होगी ।

सामान्य वर्ग	01.08.2016 को अधिकतम 37 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01-08-1979 के बाद की होनी चाहिए ।
पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पुरुष एवम् पि0व0, अ0पि0व0 एवम् सामान्य महिला	01-08-2016 को अधिकतम 40 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01-08-1976 के बाद की होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति पुरुष एवम् अ0जा0, अ0ज0जा0 महिला	01-08-2016 को अधिकतम 42 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01-08-1974 के बाद की होनी चाहिए ।

6. साक्षात्कार के समय सभी आवेदकों को महाविद्यालय वेबसाईट [www.nmchpatna.org](http://www.nmchpatna.org) के नोटिस बोर्ड पर इस सूचना से संलग्न विहित आवेदन पत्र (पूर्ण रूप से भरा हुआ दो प्रति में) प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवम् सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा ।
7. यह चयन, चयन समिति की तिथि से एक वर्ष या उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अनुमान्य होगा तथा संविदा चयन के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर / नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने पर MCI की आवश्यकता के मद्देनजर संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
8. सरकार के द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा ।
9. साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से ही चयन किए जाने की बाध्यता नहीं होगी तथा साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

प्राचार्य,  
नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना ।

